

>

Title: Introduction of the Right to Information (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of Section 7 and 20).

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
